

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 में वर्णित पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान अनुसार एवं स्थापना पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 16.07.2022 को अनुमोदित करते हुए, स्थापना पर कार्यरत सहायक ग्रेड-दो से रीडर ग्रेड-दो के रिक्त पद वेतनमान 5200-20200+2800/- ग्रेडपे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल-7 वेतनमान 28700-91300/-) में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नानुसार शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जाता है :-

स.क.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सुमन भट्ट, सहायक ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-दो	इस स्थापना पर, रीडर ग्रेड-एक एवं रीडर ग्रेड-दो के पदों की पदोन्नति क्रम में गणना करने पर, वर्तमान में रीडर ग्रेड-दो का 01 (एक) पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध होने के कारण, रिक्त स्थान पर।
2	श्रीमती अर्चना ठाकुर, सहायक ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-दो	श्री कोदूलाल सैनी रीडर ग्रेड-1 दिनांक 31.07.2022 को सेवानिवृत्त होने फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद एवं रीडर ग्रेड-दो के पदों की पदोन्नति क्रम में गणना करने पर, रीडर ग्रेड-दो, का 01 (एक) पद दिनांक 01.08.2022 को पदोन्नति हेतु उपलब्ध के फलस्वरूप, श्रीमती अर्चना ठाकुर दिनांक 01.08.2022 को या उसके पश्चात ही पदोन्नत पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण कर सकती हैं।

टीप— पदोन्नत शासकीय सेवक, पदोन्नति के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर, निर्धारित प्रारूप पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प, इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- 1- जिला कोषालय अधिकारी दमोह
- 2- श्रीमती सुमन भट्ट, सहायक ग्रेड-दो, दमोह
- 3- श्रीमती अर्चना ठाकुर, सहायक ग्रेड-दो, दमोह
- 4- लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन-ऐरियर्स लिपिक/पेंशन लिपिक/ऑफिस मोहररि/एच.आर.एम.एस. लिपिक/ऑफिस टाईपिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 5- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, दमोह की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)